रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 379] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939 [N.C.T.D. No. 292

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय उद्योग आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सं. एफ–6(10)/एसए/दिखाबो/2013–14/84.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं. 8) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा, श्री गुगन सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास हेतु, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

संबंधित अधिनियम की धारा–14 में विहित कर्तव्यों के अतिरिक्त बोर्ड निम्नलिखित कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा; यथा—

1. संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीमा क्षेत्र में आने वाले खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना तैयार करना, आयोजित करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता पैटर्न के अनुसार आवेदकों को वित्तीय सहायता की स्वीकृति और वितरण के संबंध में दिल्ली सरकार को सलाह देना।
3. खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से फण्ड प्राप्त करना।

4. हाऊस होल्ड सेक्टर के अंतर्गत औद्योगिक ईकाइयों के लिए राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (आरजीएसआरवाई) का कार्यान्वन करना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वित्तीय राषि प्राप्त करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

टी. पी. सिंह, उपायुक्त (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2017

No. F-6(10)SA/DKVIB/2013-14/84.—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 4 of the Himachal Pradesh Khadi & Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint

Shri Gugan Singh as Chairman of the Delhi Khadi and Village Industries Board, for the development of Khadi & Village Industries in National Capital Territory of Delhi.

It shall come into force on their publication in the Delhi Gazette.

In addition to the functions prescribed in Section 14 of the said Act, the Board will perform the following functions, namely :—

(i) To plan, organize and implement the programmes for the development of Khadi and Village Industries coming under purview of Khadi and Village Industries Commission, established under an Act of Parliament.

(ii) To advise the Government of National Capital Territory of Delhi in the sanction and disbursement of financial assistance to the applicants in accordance with the financial assistance patterns approved by the Khadi and Village Industries Commission.

(iii) To receive funds from the Khadi and Village Industries Commission or any other source for the implementation of Khadi and Village Industries Programme.

(iv) To implement Rajiv Gandhi Swavlamban Rozgar Yojna (RGSRY) for the industrial units under House-hold sector and receive funds from the Government of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

T. P. SINGH, Dy. Commissioner (Industries)

संशोधित अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सं. एफ–6(10)/एसए/दिखाबो/2013–14/84.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं. 8) की धारा 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिसूचना संख्या–केवीआई/12/2004–05/सीआई/836–57, दिनांक 17 जुलाई 2015 तथा अधिसूचना संख्या–केवीआई/12/2004–05/सीआई/117, दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, दिल्ली के गठन को पूर्वव्यापी संस्तुति प्रदान करता है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

टी. पी. सिंह, उपायुक्त (उद्योग)

REVISED NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2017

No. F-6(10)SA/DKVIB/2013-14/84.—In exercise of the powers conferred under Section 3 & Section 4 of the Himachal Pradesh Khadi & Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accord ex-post facto approval for constitution of the Delhi Khadi and Village Industries Board (DKVIB) as notified vide Notification No. KVI/12/2004-05/CI/836-57, dated 17th July, 2015 and Notification No. KVI/12/2004-05/CI/117, dated 14th June, 2016.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

T. P. SINGH, Dy. Commissioner (Industries)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.31 14:59:50 +05'30'